

संख्या: 3052/77-6-06-41टैक्स/01

प्रेषक,

जे०पी०एन०द्विवेदी;  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग, उद्योग निदेशालय,  
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2006

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के कतिपय प्रस्तरो में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन कर दिये गये है। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या-2959/77-6-06-41 टैक्स/01 दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या- 2974/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(जे०पी०एन०द्विवेदी)

अनुसचिव

संख्या व दिनांक तदैव

- 1- उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु-माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 4- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 6- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4
- 7- कर निबन्धन अनुभाग-2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे०पी०एन०द्विवेदी)

अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-6  
संख्या-2959/77-6-06-41-टैक्स/01.  
लखनऊ:दिनांक 14 दिसम्बर,2006

“भारत के संविधान” के अनुच्छेद 162 के अर्धीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या- 3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006

- |  |   |
|--|---|
| संक्षिप्त नाम<br>विस्तार एवं<br>प्रारम्भ | 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006 कही कही जायेगी।<br>(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।<br>(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।   |
| 2- नियम-2का संशोधन                       | औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2003 के नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड-ग व घ (1) के स्थान पर स्तम्भ -2 में, एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड-ग व घ रख दिये जायेंगे तथा खण्ड-ठ के पश्चात नया खण्ड-ड बढ़ा दिया जायेगा। अर्थात् |

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

ग- 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो।  
घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से है:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम

ग- 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो।  
घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से है:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित ऐसी इकाईयो जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 29.12.04 को या उसके बाद पड़ती हो तथा जिनमें पूर्ण

निवेश रू0 5.00 करोड़ या अधिक हो, को भी मेगा इकाई माना जायेगा ।

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2  
एतद्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम

ड- पायनियर इकाई से तात्पर्य किसी जनपद में स्थापित होने वाली प्रथम पात्र मेगा इकाई से है

“प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में ऐसी इकाई को पात्र माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।”

प्रतिबंध यह है कि किसी जनपद में प्रथम इकाई, ऐसी पात्र इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निम्न शर्तें भी पूरी की जाय:-

(1) जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में सर्वप्रथम पड़ती हो।

(2) यदि एक से अधिक इकाईयों की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में एक ही दिन पड़ती हो तो ऐसी इकाई को प्रथम इकाई माना जायेगा जिसने सेक्रेटिरियट फ़ार इण्डस्ट्रियल एप्रूवल, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से सर्वप्रथम आशय पत्र (एल.ओ.आई.) अथवा इच्छा पत्र (आई.ई.एम.) शामिल कर एकनोलेजमेन्ट प्राप्त कर लिया है।

पाइनियर इकाई की पात्रता का निर्धारण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संबंधित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, व्यापार कर विभाग के नामित कर निर्धारण अधिकारी एवं जिलाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी जिस अधिकारी को उचित समझे, विशेष आमंत्रि के रूप में समिति में नामित कर सकते हैं। पात्रता निर्धारण के उपरान्त पात्र इकाई को पात्रता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। पात्र पाइनियर इकाई पात्रता प्रमाणपत्र के साथ पिकप/यू.पी. एफ.सी. में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे।

3- नियम-3 का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-3 का ब्याज ऋण मुक्त से संबंधित है में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

<u>स्तम्भ-1</u> <u>विद्यमान नियम</u>	<u>स्तम्भ-2</u> <u>एतद्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम</u>
3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी	3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी किन्तु पायनियर इकाई के लिए नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 15 वर्ष तक की होगी।

4- नियम-5 का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-5 में निम्नवत संशोधन संशोधन किये गये है:-

उक्त नियमावली में नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप

नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) के स्थान पर स्तम्भ-2

में दिया गया उप नियम- (1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) रख दिया

जाएगा तथा पायनियर इकाइयों के लिए नियम-5(10) भी संशोधित हो

जाएगा अर्थात्-

<u>स्तम्भ-1</u> <u>विद्यमान नियम</u>	<u>स्तम्भ-2</u> <u>एतद्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम</u>
5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउण्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयों ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेंगी।	5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउण्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेंगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं पिकप के मध्य इकाइयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा:-

(1) किसी भी जनपद किसी भी जनपद में में स्थापित खाद्य स्थापित खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण अथवा पशु अथवा पशु सम्पदा पर सम्पदा पर आधारित आधारित ऐसी औद्योगिक ऐसी औद्योगिक इकाईयां इकाईयां जिनमें 15 जिनमें 5-15 करोड़ करोड़ से अधिक का तक का पूंजी निवेश पूंजी निवेश किया गया किया गया हो। हो।

(2) किसी भी जनपद किसी भी जनपद में में स्थापित होने वाली स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिसमें 10 से इकाईयां जिनमें 15.00 15 करोड़ तक का करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया पूंजी निवेश किया गया हो। हो।

(3) उपरोक्त (1) व उपरोक्त (1) व (2) के (2)के अतिरिक्त अतिरिक्त पूर्वांचल व पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड बुन्देलखण्ड में स्थापित में स्थापित होने वाली होने वाली ऐसी ऐसी औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक इकाईयां जिसमें 10-15 करोड़ जिनमें 15 करोड़ से तक पूंजी निवेश किया अधिक का पूंजी निवेश गया हो। किया गया हो।

(4) उपरोक्त (1), (2) उपरोक्त (1), (2) व व (3) के अतिरिक्त (3) के अतिरिक्त किसी किसी भी जनपद में भी जनपद में स्थापित स्थापित होने वाली होने वाली सभी प्रकार सभी प्रकार की की औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक इकाईयां जिनमें 30 करोड़ से जिनमें 25-30 करोड़ अधिक का पूंजी निवेश तक का पूंजी निवेश किया गया हो। किया गया हो।

यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा पिकप ने किसी इकाई को स्वयं वित्त पोषित भी किया हो तो उपरोक्तानुसार सीमा से बाहर होते हुए भी दूसरे निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वह इस योजना में वित्त पोषित कर सकते हैं। ऐसा करना कार्यहित / उद्योग हित / निगम हित में होगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रतिबंध यह है कि पायनियर इकाईयों को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसकी वापसी ऋण वितरण के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के बाद होगी। शेष शर्तें यथावत बनी रहेंगी।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि सभी नयी वृहद औद्योगिक इकाईयों जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिला कार्यरत हो अथवा 500 से अधिक महिलाएं स्थाई रूप से नियुक्त हो अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज रहित ऋण के अतिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अथवा प्रदत्त व्यापार कर व केन्द्रीय बिक्री कर के योग, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्वल में स्थापित होने वाली इकाईयों के संबंध में योजनानर्तगत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वान्वल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/ यू.पी. एफ.सी. को उपलब्ध करायेगें।

5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें। वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित कराकर पिकप/यू.पी.एफ.सी. को यथावश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी।

5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु पायनियर इकाई के लिए ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5- नियम-10 में उक्त नियमावली में नियम-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये गये संशोधन विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम-10 रख दिया जायेगा। अर्थात्-

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम

10 ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।

10 ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, के अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)  
औद्योगिक विकास आयुक्त  
एवं प्रमुख सचिव,

प्रेषक,

राकेश गर्ग  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग, उ०प्र०  
उद्योग निदेशालय,  
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 06 --- नवम्बर, 2003

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 3806/ 77-6-2002-41 टैक्स/ 01 दिनांक- 11 मार्च, 2003 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित ऐसी नई मेगा इकाइयों जिनमें ₹0 10 करोड़ या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो, बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाली सभी ऐसी नई मेगा औद्योगिक इकाइयों जिनमें ₹0 10.00 करोड़ या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो; खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित इकाइयों को छोड़कर शेष जनपदों में स्थापित होने वाली अन्य सभी ऐसी नई मेगा औद्योगिक इकाइयों जिनमें ₹0 25 करोड़ या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो, को नए पूंजी निवेश से निमित्त माल की विक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए संलग्न नियमावली की शर्तों व निर्वन्धों के अन्तर्गत व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष पश्चात देय होगा।

3- यह योजना पिकप तथा उ०प्र० वित्तीय निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाली इकाइयों के सम्बंध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल विकास निधि से उपलब्ध कराई जाएगी एवं अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों में आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पिकप/ यू०पी० एफ०सी० को उपलब्ध करायी जायेगी।

4 कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

प्रवीण,  
( राकेश गर्ग )  
सचिव



संख्या:-2974 (1)/ 77-6-2003 तबदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक आगवानी हेतु प्रेषित:-

- 1- आपुक्त, व्यापार कर विभाग।
- 2- प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग,
- 3- प्रबंध निदेशक, उOप्रO वित्तीय निगम तथा प्रबंध निदेशक, पिकप को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश के जनपदों को उक्त योजना की जानकारी भी प्रसारित करने की व्यवस्था करें।
- 4- विल (गण नियंत्रण) अनुभाग 6
- 5- विल (आय-व्यय) अनुभाग 4
- 6- कर एवं निबंधन अनुभाग-2
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( सुरेश चन्द्रा )  
विशेष सचिव

## उत्तर प्रदेश शासन

### औद्योगिक विकास अनुभाग-६

संख्या: 3090/77-६-०३-४१(टेक्स)०१

लखनऊ: दिनांक : 6/11/ 2003

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या:3806/77--6-2002-41 (टेक्स)/01, दिनांक मार्च 11, 2003 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में मेगा इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

### औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-२००३

9. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ: 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 कही जाएगी।  
1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।  
1(3) यह दिनांक नवम्बर 6, 2003 से प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएं
- क. 'बिक्री की प्रथम तिथि' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित, नये पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से है।
- ख. 'पूँजी निवेश' का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि दिनांक 11.3.03 को या उसके बाद पड़ती हो।
- ग. 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो।
- घ. 'मेगा इकाई' का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयों से है :-  
(i) खाद्य प्रसस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो।  
(ii) पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाईयों जिनमें 10 करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया :  
(iii) अन्य जनपदों में स्थापित सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों जिनमें 25 करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो।
- ड. पूर्वांचल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों से है।  
च. बुन्देल खण्ड का तात्पर्य अनुलग्नक-2 में उल्लिखित जनपदों से है।  
छ. 'वार्षिक विक्रय धन' का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की दिनांक 01 अप्रैल अथवा, यथास्थिति, बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रिम 31 मार्च की अवधि में, का गया विक्री से है।  
ज. विक्रय का तात्पर्य द्वि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत

एक सरकारी कम्पनी है।

झ. यू.पी.एफ.सी. का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।

ञ. 'ऋण वितरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को चेक उपलब्ध करा दिया जाय।

ट. 'ऋण भुगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाय।

ड. 'वर्ष' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

३. ब्याज मुक्त ऋण की अवधि: पात्र इकाइयों द्वारा नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।

४. ऋण की सीमा: किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर 5(4) के प्राविधान के अनुरूप होगी जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

५. ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रिया: 5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित तीन प्रतियाँ पिकप/यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयों ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।

5(2) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर प्रस्तर 5(4) के प्राविधानों के अनुसार आगणित धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेगी।

5(3) प्रबन्ध निदेशक पिकप / यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुये इकाई को अग्रिम एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विरुद्ध इकाई सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है जिस पर निर्णय प्रस्तर-12 में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जाएगा।

५(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार-कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न भाग्य

के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

रुपये (करोड़ में)

सारिणी (परिकल्पित आँकड़े)

पूँजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूँजी निवेश / वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	ब्याज मुक्त ऋण □ (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में)
10.00	10.00 या कम	10 : 10 या उससे कम	$5 \times 10 / 10 = 5\%$ प्रतिशत
10.00	12.00	10 : 12	$5 \times 12 / 10 = 6\%$
10.00	15.00	10 : 15	$5 \times 15 / 10 = 7.5\%$
10.00	20.00 या अधिक	10 : 20	$5 \times 20 / 10 = 10\%$

5(5) ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात ऋण भुगतान की अंतिम तिथि के अगले 5 वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जाये इस हेतु व्यवस्था एम.ओ.यू. के माध्यम से पिकप / यू.पी.एफ.सी. द्वारा की जायेगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी. ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेंगे। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायेगे।

5(7) पिकप/यू.पी.एफ.सी. को स्वीकृत ऋण राशि लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा बाद में आवंटित किया जाएगा।

5(8) प्रत्येक वर्ष वसूल हुये ऋण तथा ब्याज को उसी वर्ष में उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।

5(9) औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

5(10) वितरित किये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी।

5(11) निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई को देरी की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अथवा उसके भाग को इस हेतु एक माह माना जायेगा।

5(12) ब्याज मुक्त ऋण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई द्वारा वापस की गई धनराशि का मुजरा पहले मूलधन में किया जाएगा। उसके पश्चात अवशेष धनराशि का मुजरा देय ब्याज, यदि कोई हो, में किया जाएगा।

5(13) पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों पर पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेंगे जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये प्रयाप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करने

हुये द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा परसनल-बॉण्ड मांग सकते हैं।

5(14) निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को कारण बताओं नोटिस देंगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरुद्ध बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु 'वसूली प्रमाण-पत्र' जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद भी दायर करेंगे या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेंगे व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उसकी वाइन्डिंग-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेंगे।

5(15) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई की फैक्ट्री, दुकान, गोदाम वाहन तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

5(16) इस योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाइयों को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य एवं केन्द्र सरकार के भुगतान में वित्तिथि (डिफॉल्टर) न हों तथा इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

- 6 प्रतिबन्ध पात्र इकाई पर प्रतिबन्ध होगा कि वह बिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के कॉन्स्टीट्यूशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्तियों को बेचेगी, किराये पर देगी या परिसम्पत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेगी।
- 7 शर्त-6 के उल्लंघन का प्रभाव यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. को इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश की प्राप्ति तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जायेगी। अवशेष ऋण के भुगतान में देरी की दशा में पात्र इकाई ऋण देय होने की तिथि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि की अन्तिम तिथि 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज की देनदार होगी।
- 8 पात्र इकाई के दायित्व ऋण देयता की अवधि में, पात्र इकाई के लिये निम्नलिखित व्यवस्था आवश्यक होगी :-
- I. उन सभी अनुबन्ध तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा जो पिकप/यू.पी.एफ.सी. के मतानुसार आवश्यक हो।
  - II. वह सभी सूचनायें पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायी जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जायें।
- 9 न्यायालय क्षेत्राधिकार के किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ में स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को "अण्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग" से भेजी गयी सूचना/ नोटिस आदि विधिवत् तार्थाल मानी जायेगी।
- 10 व्यय भार ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विवेक निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, नॉन-गवर्नर शुल्क व अन्य अनुपातिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई द्वारा अंशम रूप में देय होगा।

- 1 अनुबन्ध इस नियमावली के प्रतिबंध / प्राविधान लागू करने के लिये पात्र इकाई पिकप / यू.पी.एफ.सी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित करेगी।
- 2 समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण
- i. इस योजना के किली बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
- ii. इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण सचिव औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे-
- क. सचिव, वित्त
- ख. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
- ग. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
- घ. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

आज्ञा से,

( राकेश गर्ग )

सचिव,

औद्योगिक विकास विभाग

अनुलग्नक-१

<u>पूर्वांचल</u>	
क्रम सं०	जनपद का नाम
1	2
1.	वाराणसी
2.	चन्दौली
3.	गाजीपुर
4.	जौनपुर
5.	मिर्जापुर
6.	सोनभद्र
7.	संत रविदास नगर
8.	गोरखपुर
9.	महाराजगंज
10.	देवरिया
11.	कुशीनगर
12.	बस्ती
13.	संत क० नगर
14.	सिद्धार्थनगर
15.	आजमगढ़
16.	मउ
17.	बलिया
18.	इलाहाबाद
19.	कौशांबी
20.	फतेहपुर
21.	प्रतापगढ़
22.	फैजाबाद
23.	अम्बेडकरनगर
24.	बाराबंकी
25.	सुल्तानपुर
26.	गोण्डा
27.	बलरामपुर
28.	बहराइच
29.	श्रावस्ती

अनुलग्नक-२

<u>बुन्देलखण्ड</u>	
क्रम सं०	जनपद का नाम
1	2
1.	झाँसी
2.	सलितपुर
3.	जाँसी
4.	इमीरपुर
5.	महोबा
6.	बाँदा
7.	चित्रकूट



प्रेषक,

अनामिका सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग, उद्योग निदेशालय,  
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ

दिनांक // जनवरी, 2011

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के नियम 5(13) में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन कर दिये गये है। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या-59/77-6-06-41 टैक्स/01 दिनांक- // जनवरी, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या- 2974/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 4- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
- 7- कर निबन्धन अनुभाग-2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)  
विशेष सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-6  
संख्या- 59/77-6-11-41-टैक्स/01  
लखनऊ: दिनांक- 11 जनवरी, 2011

“भारत के संविधान” के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या- 3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011

- |   |  |
|---|--|
| सक्षिप्त नाम<br>विस्तार एवं<br>प्रारम्भ | 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन<br>नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011<br>कही जावेगी।<br>(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।<br>(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| 2- नियम-5(13)<br>का संशोधन              | औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2003 के नियम-5(13)<br>को निम्नवत् संशोधित कर दिया गया है।  |

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
“5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यूपी० एफ०सी० के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यूपी० एफ० सी० युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।”	“5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यूपी० एफ०सी० के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यूपी० एफ०सी० युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।”  उक्त के अतिरिक्त पात्र इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को निम्नवत् पूर्ण किया जा सकता है:-  (अ) इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन आदि देकर वांछित प्रतिभूति ऋण अनुपात पूर्ण कर लिया जाये।  तथा (ब) इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से ब्याजमुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिए)

आज्ञा से,  
  
( वी०एन० गर्ग )  
प्रमुख सचिव,  
अदस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।